27.6.2025

प्रार्थीगण प्रहलाद,सुभाष, साहबराम पुत्रगण कृष्णलाल जाति विश्नोई निवासी संगरिया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आरटीए पेश कर चक 1 आरटीपी प.न. 192/167 मु.न. 33 के किला नं. 25 में दक्षिण दिशा यानि किला नम्बर 5 के साथ चिपता हुआ पूर्व से पश्चिम की ओर 12 फुट चौड़ा रास्ता स्वीकृत करने बाबत निवेदन किया है।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। इस कार्यालय द्वारा तहसीलदार संगरिया से उक्त रास्ता के प्रकरण को सही रूप से निस्तारण करने एवं मौका की जांच रिपोर्ट चाही जाने पर उन्होने अपने पत्र क्रमांक 1597 दिनांक 22.05.2025 द्वारा अपनी रिपोर्ट भिजवाई है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सयुंक्त खाते के सहखातेदार है। उक्त कृषि भूमि संयुक्त अपवादित खाता में दर्ज कृषि भूमि है। उक्त कृषि का खाता सक्षम न्यायालय से दूंरूस्त होकर विभाजन हुए बिना संयुक्त अपवादित खाता की कृषि भूमि में मार्ग स्वीकृति का इंतकाल ई–धरती पोर्टल पर तकनीकी कारणों से अमल दरामद नही हो पाता एवं माननीय न्यायालय के आदेशो की पालना नही हो पाना बतलाते हुए अपनी रिपोर्ट भिजवाई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली एवं तहसीलदार राजस्व संगरिया से प्राप्त मौका रिपोर्ट का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण अत्यधिक समय से अन्तर्गत धारा 251–ए आरटीए प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृत किये जाने हेतु लम्बित चल रहा है जबकि प्रार्थी के नाम संयुक्त खाते में खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी ने संयुक्त खाते की आराज़ी के लिऐ रास्ता की मांग की गई है जो संयुक्त खाते में दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया